न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 10/2020
सी.सी.एम.एस. : 2020/00132

1. रामस्वरूप पुत्र हरीपदम जाति जाट निवासी 29 पीएस ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. खेतपाल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. सरोज पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. सिमला पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री जितेन्द्र प्रसाद सोनी, वकील प्रार्थी
2. श्री दिनेश कुमार जोशी, वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :19.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि 29 पीएस ए के मु.नं. 50 प.नं. 223/298 कि.नं. 4–5–6–7 में 0.937है. नहरी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि चक ठाकरी बी के खाता सं. 14 के मु.नं. 24 प.नं. 222/298 के कि.नं. 1 की बारानी भूमि में 2 बिस्वा रास्ता मोड हेतु स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक ठाकरी बी के मु.नं. 17 प.नं. 222/297 के कि.नं. 3 ता 9 व 12 ता 19 में 3.668है. बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पास व इसी मुरब्बा नं. 17 प.नं. 222/297 के कि.नं. 16/1, 21/1 व 22 ता 25 में 1.140है. कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 एवं अप्रार्थीगण के पुत्र/भाई रणजीत पुत्र कृष्णलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हैं जबकि प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय भूमि के समस्त काश्तकारान को पक्षकारान के रूप में संयोजित नहीं किया और मुरब्बा नु. 24 प.नं. 222/298 में उल्लेखित अप्रार्थीगण की कृषि भूमि कि.नं. 1 ता 5 का उल्लेख किया एवं उक्त आधार पर मु.नं. 50 प.नं. 223/398 के कि.नं. 4 सालम 5/1 के 0.228है., 522 के 0.025है. खाला 6/1 के 0.228है., 622 के 0.025है. खाला 7/1 के 0.178है. नहरी का विस्तृत वर्णन न कर उक्त किलाजात [illegible] नहरी कृषि भूमि का उल्लेख किया जबकि असल में रामस्वरूप के पास 0.887है. [illegible] भूमि एवं खाला 0.050 इस प्रकार कुल 0.126है नहरी कृषि भूमि मद खाला है प्रार्थी ने [illegible] अपने आवेदन पत्र खाले का अंकन नहीं किया। जो कि मुरब्बा नं. 51 के किला नं. [illegible]6–15–16–25 में दक्षिण उत्तर की तरफ निकलता हैं और रामस्वरूप के किला नं. 5 में जाकर समाप्त हो जाता है राजस्व रिकार्ड अनुसार मु.नं. 17 प.न. 222/297 में अप्रार्थीगण [illegible] अपने पुत्र/भाई रणजीत को मिलाकर अप्रार्थीगण के पास उक्त मुरब्बा में 3.668 एवं 1.140है. बारानी कृषि भूमि हैं। उक्त भूमि के कि.नं. 21 ता 25 में 6 बीघा सड़क पूर्व से ही रिकार्ड अनुसार हैं, उक्त पक्की सडक पूर्व से पश्चिम किला नं. 25–24–23–22–21 में जाती हैं व कि.नं. 21 के पिश्चमी पासे

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.21 17:41:20 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

दक्षिण से उत्तर आगे कि.नं. 20–11–10–1 से निकलती हैं। इस प्रकरण स्पष्ट है कि जब मु.नं. 17 में चल रही पक्की सडक का पश्चिमी कोना कि.नं. 21 में मु.नं. 17 के चिपते पश्चिमी मुरब्बे के कि.नं. 25 में निकलता है तो इस स्थिति में अप्रार्थीगण के मु.नं. 24 में प.नं. 222/298 के कि.नं. 1 में 2 बिस्वा रास्ता मोड के रूप में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से मांगना तर्कसंगत नहीं हैं। क्योंकि अप्रार्थीगण के कि.नं. 1 के चिपते प्रार्थी रामस्वरूप के कि.नं. 5 में रिकार्ड अनुसार खाला है एवं उक्त मोड मुडने पर प्रार्थी को पक्की पुली का निर्माण करना पडेगा और रास्ता दो मोडों पर घूमेगा जबकि मु.नं. 50 के उपरी मु.न. 16 जो राजस्व रिकार्ड अनुसार पुष्पादेवी पत्नी भूपराम के नाम से है के कि.नं. 25 से यदि प्रार्थी को दिया जाए तो मात्र एस मोड रास्ता घूमेगा और प्रार्थी को पुलीया का निर्माण नहीं करना पडेगा। अप्रार्थीगण के मु.नं. 24 के कि.नं. 1 से रास्ते की मांग आवश्यक एवं सुगम रास्ते की परिभाषा को अधिनियम अनुसार पूरा नहीं करती हैं। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भ से ही खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र में धारा 251ए के मामले में सरल सुगम एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव को सिद्ध करने में असफल रहा हैं। सुगम रास्ते के रूप में मामले के प्रार्थी रामस्वरूप को अपने रिश्तेदार पुष्पादेवी पत्नी भूपराम के मु.नं. 16 प.नं. 223/297 के कि.नं. 25 में दो बिस्वा रास्ता हेतु वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिये।

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने जांच रिपोर्ट क्रमांक 1211 दिनांक 28.09.2020 के साथ नजरी नक्शा पेश किया। मुताबिक रिपोर्ट चक 29 पीएसए खाता सं. 73 प.नं. 223/298 मु.नं. 50 के कि.नं. 4/0.253, 5–6 में 0.506है., 7 में 0.178है. कुल 0.937है. नहरी मय खाला भूमि रामस्वरूप पुत्र हरीपदम जाति जाट सा0 29 पीएस ए के नाम से खातेदार दर्ज हैं। चक ठाकरी बी के मु.नं. 24 के कि.नं. 1 ता 5 में रकबा 1.265है. बारानी कृष्णादेवी पत्नी कृष्णलाल–सिमला–सरोज पुत्रीयां कृष्णलाल–खेतपाल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट सा0 ठाकरी के नाम से खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी आने जाने के लिए मु.नं. 24 के कि.नं. 1 में 2 बिस्वा रास्ता मोड हेतु चाहा गया हैं।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि 29 पीएस ए के मु.नं. 50 प.नं. 223/298 कि.नं. 4–5–6–7 में 0.937है. नहरी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि चक ठाकरी बी के खाता सं. 14 के मु.नं. 24 प.नं. 222/298 के कि.नं. 1 की बारानी भूमि में 2 बिस्वा रास्ता मोड हेतु स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र. में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के मु.नं. 24 के कि.नं. 1 से रास्ते की मांग आवश्यक एवं सुगम रास्ते की परिभाषा को अधिनियम अनुसार पूरा नहीं करती हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया। मौका निरीक्षण दिनांक 15.01.2021 को उपस्थित पक्षकारान की मौजूदगी में किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मौका निरीक्षण में पाया कि प्रार्थी को अपनी कृषि को सिचिंत करने, कृषि यंत्र लाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा वांछित मार्ग सरल सुगम निकटतम मार्ग हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक ठाकरी बी के मु.नं. 24 प.नं. 222/298 के कि.नं. 1 की बारानी भूमि में 2 बिस्वा उत्तरी पश्चिमी कोना गैर मुम. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण को मुआवजा के तौर पर रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो [illegible] अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से मुआवजा राशि जमा कर नियमा[illegible]र अ[illegible]र्थीगण को भुगतान करें एवं उक्त स्वीकृतशुदा गैर मुमकिन रास्ता का [illegible] करें।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni.
Date: 2021.01.21 17:41:20 IST
Reason: Self Attested

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner